JPR5 -93

जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड,जयपुर

क्रमांक.जेपीडी/मु.अ.(वा.)/सी–।/पत्रावली F4(210)/प्रे. 1574 दिनांकः– 24.10.2002

आदेश

राज्य में भयंकर अकाल एवं सूखे की स्थिति को देखते हुये राज्य सरकार ने सामान्य कृषि श्रेणी के मीटर्ड सप्लाई उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने हेतु यह निर्णय लिया है कि ऐसे उपभोक्ताओं से वास्तविक विद्युत उपभोग के आधार पर ही बिल वसूल किये जायें तथा मिनिमम बिलिंग तथा वास्तविक विद्युत उपभोग की राशि के अन्तर की राशि का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा वितरण निगमों को किया जायेगा।

तद्नुसार सामान्य कृषि श्रेणी के मीटर्ड सप्लाई उपभोक्ताओं (टैरिफ कोड–4000) से बिलिंग माह नवम्बर, 2002 से वास्तविक उपभोग के आधार पर ही बिल की राशि वसूल की जायेगी। उक्त उपभोक्ताओं को जारी किये जाने वाले बिलों मे पूर्व की भांति मिनिमम बिलिंग की राशि के अन्तर को अलग से इंगित किया जायेगा, परन्तु उपभोक्ता को केवल वास्तविक उपभोग की राशि ही जमा करानी होगी। यदि उपभोक्ता वास्तविक उपभोग की राशि जमा नहीं कराता है तो टैरिफ के प्रावधानानुसार विलम्ब शुल्क अधिभार लगाया जायेगा। मिनिमम बिलिंग एवं वास्तविक उपभोग के अन्तर की राशि को भी बिल में दर्शाया जायेगा जिसका राज्य सरकार द्वारा विद्युत वितरण निगम को पुनर्भरण किया जायेगा। मिनिमम बिलिंग एवं वास्तविक उपभोग की राशि के अन्तर की राशि पर विलम्ब शुल्क अधिभार नहीं लगेगा और मिनिमम बिलिंग के विपत्रण के अन्तर की राशि बकाया के रूप में आगामी विपत्रों में नहीं दर्शायी जायेगी।

उक्त आदेश के क्रियान्वयन हेतु मुख्य लेखाधिकारी बिल बनाने वाली संस्थाओं को आवश्यक निर्देश जारी करेंगे। इसके अतिरिक्त वे मिनिमम बिलिंग राशि के अन्तर की राशि जिसका पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाना है, को क्लेम प्रति माह राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगे।

इस वित्तीय वर्ष के बिलिंग माह अक्टूबर, 2002 तक पूर्व आदेशानुसार जारी किये गये बिलों का भुगतान उपभोक्ता द्वारा देय होगा।

(आर.पी.गोयल)
मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)